न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 62 / 19
प्रविष्टि दिनांक 19–8–2019

हरसहाय पुत्र रामफूल मीना निवासी ग्राम–सुरेली तहसील उनियारा जिला–टोंक
–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार उप तहसील बनेठा जिला– टोंक
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 29–7–2019 पत्रावली सं0 1504 / 2019

उपस्थिति : (1) श्री रमेशचन्द शर्मा एडवोकेट अपीलान्ट
(2) श्री सै0 मजहर आलम ,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 20–1–2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 29–7–2019 के द्वारा अपीलान्ट को चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1860 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम सुरेली पर नीवें खोद कर तथा दीवार बनाकर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 20/ रूपये की पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलान्ट एंव उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को दिनांक 9–12–2021 को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनको द्वारा आज तक लिखित बहस पेश नही किये जाने के कारण अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गुणवगुण आधार पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा निर्णय से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई ओर न ही मौके का निरीक्षण किया गया। अपीलान्ट को पूर्व में नोटिस जारी नहीं किया गया है ओर न ही अपीलान्ट की कोई प्रोपर तामील हुई है। अपीलान्ट को ऐसे किसी नोटिस की जानकारी नहीं [illegible] सम्पूर्ण भूमि चरागाह भूमि है जिस पर आबादी बसी हुई है जिसे अधीनस्थ [illegible] भी माना है। अपीलान्ट ने किसी भी रास्ते पर अतिक्रमण नहीं किया है, अपि[illegible]लश पुत्र बजरंगलाल, हंसराज पुत्र केसरलाल मीणा आदि द्वारा [illegible] प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने पटवारी से मिल कर उक्त कार्यवाही अपीलान्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:59:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

विरूद्व करवाई है मौके पर अपीलान्ट के कब्जे के मकान पर कोई रास्ता नहीं है अपीलान्ट को गवाह सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया न ही पत्रावली में मोका रिपोर्ट मय नक्शा उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के खिलाफ एकपक्षीय निर्णय पारित किया है हो निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 29–7–2019 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1860 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम सुरेली तह0 उनियारा मकान मनाने हेतु नींव खोदकर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया था अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था जिसे पाबन्द किया गया था ओर मौके पर जाकर भी हल्का पटवारी तथा पुलिस कर्मचारी ने रास्ते में निर्माण कार्य नहीं करने हेतु समझाया था पर उसके द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब भी प्रस्तुत किया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्ट को चरागाह व रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1860 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम सुरेली पर नीवें खोदकर मकान बनाकर अतिक्रमण नहीं करने हेतु पााबन्द किया गया था, किन्तु अपीलान्ट निरस्तर अपना कार्य चालू रखा। अपीलान्ट ने पहले भी रास्ते में खाद का ढेर व लकड़िया डाली थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली संख्या 2181 निर्णय दिनांक 31–1–2012 से बेदखल किया था। अपीलान्ट चरागाह भूमि पर से कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 29–7–2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–1–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:59:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)